न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2024 (नि.पं.) (GCMS 2024/180)	09.09.2024	15.01.2025

अनवान

ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार बीकानेर।
2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

गैर–निगराकारान

उपस्थिति :–	केसी उपाध्याय	अधिवक्ता निगराकार
	अनुपस्थित	गैर–निगराकारान संख्या 1
	रतनलाल जाट	गैर–निगराकार संख्या 2

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 009 दिनांक 14.03.2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के विरूद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 14.03.2005 जो कि गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 16.10.2024 को गैर निगराकार संख्या 02 स्वयं हाजिर आये। विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/पंसचि/पंचायत/2023–24/1029 दिनांक 16.10.2024 से अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है। विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि पट्टा संख्या 009 निर्णय दिनांक 14.03.2005 अनवान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर में पट्टा संबंधित रेकार्ड

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(बैठक रजिस्टर में वर्णित नहीं एवं पत्रावली) रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाण–पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा मूल पट्टा बुक प्रस्तुत की गई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 16.10.2024 को गैर–निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित रहे एवं प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया गया। दिनांक 20.11.2024 को गैर–निगराकार संख्या 02 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 04.12.2024 को प्रकरण में तहसीलदार बस्सी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/720 दिनांक 17.12.2024 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 07.01.2025 को गैर–निगराकार संख्या 1 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। प्रकरण में उभयपक्षकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा संकल्प संख्या 5(बी) दिनांक 20.10.2003 को प्रस्ताव पारित करते हुये विपक्षीगण के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था जो कि विधि एवं तथ्यों के विपरित जारी कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित पडौसों के मध्य पट्टा जारी किया गया है जो कि पडौसान से ही स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड बिना जांच पडताल किये ही एक पट्टा जार कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत बस्सी के द्वारा दिनांक 14.03.2005 को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्कूल के विकास एवं विस्तार के लिये दिया गया जो कि वाकियाती नियम से परे जाकर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 के तहत मात्र 500 वर्गगज ही निःशुल्क पट्टा जारी करनके का नियम है, तात्कालिक ग्राम पंचायत बस्सी के द्वारा उक्त तथ्या का ध्यान न रखते हुये विपक्षीगण को 3,19,702 वर्गफीट का एवं 29700 वर्गमीटर का तथा 2.97 हैक्टेयर का पट्टा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी कर दिया गया जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है।

इस पर हाजिर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया की प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निगराधीन पट्टा जारी किया गया है एवं जारी पट्टे अनुसार वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी संचालित है, जिससे निगरानी सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम विपरित बहुत बडे भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया जो पूर्णतया अवैधानिक है। पट्टे में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 3,19,702 वर्गफीट का 29700 वर्गमीटर का तथा 2.97 हैक्टैयर का जारी कर दिया गया जबकि पंचायत नियमानुसार 4500 वर्गफीट से अधिक का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पचांयत के द्वारा उक्त पट्टा गैर–निगराकार के पक्ष में जो नियम विरूद्ध जारी कर दिया गया है उसे निरस्त कराने का अधिकार होने से उक्त पट्टा निरस्ती हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होने से पेश है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे का अवलोकन कराया एवं बताया कि विद्यालय भवन एवं खेल मैदान व पडत भूमि का राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार कुल क्षेत्रफल 25000 वर्गमीटर है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी का भवन, खेल मैदान व पडत भूमि ग्राम बस्सी की आराजी संख्या 1442 रकबा 2.50 हैक्टेयर में स्थित होकर उक्त आराजी संख्या ग्राम बस्सी के खाता संख्या 1 में किस्म आबादी होकर राज्य सरकार में निहित है। निगराधीन पट्टे की आराजीयात जैरबहस राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज अभिलिखित है, जिससे भी उक्त आराजीया के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किये जाने बाबत् को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः इस आधार पर भी निगराधीन पट्टा खारीज किये जाने योग्य है, अंत में प्रार्थना की गई की निगराकार की और से निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा दिनांक 14.03.2005 को जारी पट्टा संख्या 9 निरस्त फरमाया जावें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97 Power of revision and review by Government.-

(1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है।निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। हमने नियम 140 से 159 तक का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/अध्यय/परिशीलन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई विधिक प्रावधानों/नियमों के तहत कार्यवाही संपादित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त प्रमाण–पत्र से होती है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 के नियम 140 में आबादी भूमि को परिभाषित किया गया है जिससे आबादी भूमि से आशय है कि किसी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रों के भीतर पडने वाली ऐसी नजूल भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई हो या उसके निर्वर्तनाधीन रखी गई हो। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट, नजरी नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार निगराधीन पट्टा मौजा बस्सी की आराजी संख्या 1442 बाबत् जारी किया गया है जो राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज रेकार्ड है। पंचायत सर्किल में स्थित किसी भी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत का मालिकाना हक राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 एवं 103(क) के तहत सक्षम स्तर आदेश जारी किये जाने के पश्चात् ही अभिप्रेत होते है, जबकि हस्तगत आराजीयात के संबंध में इस बाबत् कोई कार्यवाही नहीं होना पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रेकार्ड से प्रतिवेदित होता है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक की और से पट्टा जारी किये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें में आवेदित भूखण्ड का किसी भी प्रकार से नाप–चौक क्षेत्रफल इत्यादि हो। प्रथम दृष्टवा ही यह मात्र खाना–पूर्ति प्रतीत होता है। **इसके साथ ही गैर–निगराकार संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत पट्टा में कुल क्षेत्रफल 3,19,702 वर्गफीट, 29700 वर्गमीटर, 297 आर अंकित है**, जबकि विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा **न्यायालय प्रस्तुत मूल पट्टा बुक जिसमें निगराधीन पट्टे की 02 परत में उपलब्ध है उक्त दोनों पर परतों पर किसी भी प्रकार से भूखण्ड के संबंध में कोई क्षेत्रफल नाप–चौप अंकित नहीं है**। इसके साथ ही ग्राम पचांयत को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के अध्यधीन ही पट्टा जारी किये जाने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है, जबकि निगराधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर कुलिया क्षेत्रफल 3,19,702 वर्गफीट का जारी किया गया है जो कि नियमों से परे जाकर जारी किया जाना प्रतिवेदित होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा निगराधीन पट्टा जारी किये जाने के संबंध में मुख्य रूप से 3 विधिक बिन्दु उभर कर आते है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम 1994 से प्राप्त क्षेत्राधिकार से परे जाकर **3,19,702 वर्गफीट** भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया, जारी पट्टे पर भूखण्ड के नक्शें का अनुमोदन अंकित नहीं किया गया, जबकि गैर–निगराकार संख्या 2 के पास उपलब्ध पट्टे पर भूखण्ड का नक्शा अंकित है एवं ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज भूमि जिसके संबंध में ग्राम को नियमानुसार मालिकाना हक प्राप्त नहीं है, ऐसी भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया गया है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा हस्तगत विवादित पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों एवं प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना प्रमाणित होना पाया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किये जाने में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 009 दिनांक 14.03.2005 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इसके साथ ही न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद से प्रमाणित पाया गया है कि मौजा बस्सी की आराजी संख्या 1442 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी स्थित होकर संचालित है, एवं उक्त आराजी संख्या 1442 किस्म आबादी होकर राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज अभिलिखित है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से प्रचारित किया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि में स्थित किस्म आबादी भूमि ग्राम पंचायत के अधीन है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि के अतिरिक्त भी इस प्रकार किस्म भूमि आबादी वाली भूमियों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के भवन निर्मित होकर विद्यालय वर्तमान में इसी भूखण्ड में संचालित है, ऐसी स्थिति में विद्यालय भवन एवं खेल मैदान के लिये राज्य सरकार द्वारा विद्यालय हेतु निर्धारित मापदण्डों के तहत नवीन पट्टा जारी किया जाना आवश्यक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के निर्मित भवन एवं खेल मैदान हेतु नवीन पट्टा जारी किये जाने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के निर्मित भवन एवं खेल मैदान के नवीन पट्टा जारी किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आबादी भूमि में स्थित एवं संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु निर्धारित मापदण्डों के तहत सक्षम स्तर से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रावधित विहित प्रक्रिया अनुसार आगामी 2 माह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के भवन एवं खेल मैदान हेतु नवीन पट्टा जारी कराये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, एवं उक्त प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त प्रशासनिक जांच कर संबंधित कार्मिको/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसके साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने कि कार्यो के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध सतत निगरानी रखी जावें।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित पट्टा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 009 दिनांक 14.03.2005 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी पट्टा संख्या 009 दिनांक 14.03.2005 जो कि गैर निगराकार संख्या 01 निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चित्तौड़गढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, तहसीलदार बस्सी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बस्सी को मार्फत विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ को उपरांकित विवेचन के क्रम में सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official